न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 82/2014

GCMS No. : 2014/00151

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मांगीलाल पुत्र हजारी जाति–गुर्जर, निवासी–आसरलाई, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।		1. अपली पत्नी स्व. हजारी 2. बादरराम पुत्र स्व. हजारी 3. राजुराम पुत्र हजारी जातियान–गुर्जर निवासी–आसरलाई, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। 4. उप पंजीयन अधिकारी कार्यालय, जैतारण। 5. तहसीलदार, जैतारण। 6. पटवारी कार्यालय पटवार मण्डल, आसरलाई।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू –: 21/05/2014

उपस्थितः–

1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँक –: 07/09/2020**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा गांव आसरलाई पट्वार हल्का आसरलाई तहसील– जैतारण में सायल के पिता स्वर्गीय हजारी पुत्र श्री गोपाराम के नाम की आराजी खसरा नम्बर– 1183 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी का खसरा नम्बर 1193 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 18 बीघा आई हुई है जिमे जिसमें सायल का 1/5वां हिस्सा आता है व उन पर कब्जा व काश्त है। उक्त सम्पूर्ण 18 बीघा कृषि भूमि सायल के पिता स्वर्गीय हजारी पुत्र श्री गोपाराम जी की थी व राजस्व रेकर्ड मे उनका नाम इन्द्राज था व उनका ही कब्जा काश्त था सायल के पिता स्वर्गीय हजारी पुत्र श्री गोपाराम की मृत्यु करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है व उनके जीवनकाल मे ही उनके पिता ने हिस्सा कर सायल के हिस्से की कृषि भूमि सायल को दे दी थी तब से उक्त भूमि पर सायल का कब्जा व काश्त है। सायन पशुपालन का धन्धा करता है व अपने पशुओ को लेकर डांग क्षेत्र में आता जाता रहता है तथा उनके मृत्यु के बाद अभी तक उन्ही का नाम राजस्व रेकर्ड मे चला आ रहा है सायल ने गैरसायल संख्या 1 से 3 को दिनांक 8.5.2014 को फौतेदगी म्युटेशन भरने का साथ चलकर कहने पर उन्होंने इन्कार कर दिया तो कहां कि तुम डांग क्षेत्र मे रहते हो व पीछे हम उक्त भूमि में अपना हिस्सा इन्द्राज कर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.09.23 11:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कृषि भूमि को बेचान कर देंगे जबकि वादी का उक्त भूमि मे अपने पिता की सम्पति में बराबर बराबर हिस्सा आता है व गैरसायलान संख्या 1 एक का भी भरण पोषण सायल नियमानुसार करता आ रहा है। उक्त आराजी गैरतायलान संख्या 1 व 3 की स्वअर्जित खरीद सुद्धा नहीं हैं। उक्त सम्पति सायल के पिता से उनकी मृत्यु के बाद सायल व गैरसायलान को बतौर पैतृक पुश्तैनी सम्पति के रूप में अर्जित हुई है व शामलाती कृषि भूमि है सायल का उक्त भूमि मे 1/5 हिस्सा कानुनन आता है जिन्हे सायल घोषणा करवाने का अधिकारी है यदि सायल की गैर मौजूदगी में गैरसायलान संख्या 5 के वहां जाकर गैरसायल संख्या 6 व 7 से मिलीभगत कर केवल मात्र अपना नाम डलवा कर उक्त भूमि बेचान, रहन, वसीयत, बख्शीश हस्तांतरण आदि कर लेते है तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी कदर संम्भव नहीं हो सकेगी सायल ने गैरसायल संख्या 1 से 3 को साथ चलकर म्युटेशन भरने का कहा तो नहीं माने जिसे गैरसायल संख्या 4 ने भी समझाया तो ऐलानिया धमकी दी कि ज्योही सायल डांग क्षेत्र मे जायेगा तो पीछे जमीन किसी अन्य को बेचान कर देगें तथा राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम इन्द्राज करवा देगें व मौके पर जबरन कब्जा कर सायल व उसके परिवार को बेदखल कर देगें यदि गैरसायलान ऐसा करने में सफल हो जाते है तो सायलान को असीम क्षति होगी सायल गरीब पशु पालक हैं ताकत के बल पर गैरतायलान का मुकाबला नहीं कर सकता है इसलिये श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना- पत्र बाबत् घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं । उक्त आराजी सायल के पिता की सम्पति है जिसमे सायल का 1/5वां हिस्सा आता है व मौके पर कब्जा व काश्त है प्रथम दृष्टयां मामला सायल के पक्ष मे बखुबी साबित है व वादी के पिता का राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज है सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष मे हैं। यदि उक्त आराजी से सायल को बेदखल कर दिया जाता है तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षति पूति किती कदर संम्भव नहीं हो सकेगी यदि आराजी को बेचान, बख्शीश, रहन आदि कर देते है तो राजस्व रेकर्ड मे जबरन अकेले गैरसायलान का नाम इन्द्राज कर दिया जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूति किसी कदर संम्भव नही हो सकेगी। यदि जबरन उक्त भूमि बैचान कर दी जाती है तो मौके पर सायल हर गिज ऐसा नहीं करने देगा व मुकदमें बाजी बढ़ेगी व सायल को भूमिहीन होना पड़ेगा।

अतः प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ-पत्र दस्तावेज पेश कर निवेदन है कि राजस्व मौजा ग्राम आसरलाई में खसरा नम्बर 1183/1193 कुल रकबा 18 बीघा भूमि को बैचान, रहन, वसीयत, बख्शीश हस्तांतरण आदि करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। व राजस्व रेकर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें। इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 04 से 06 बावजूद सम्मन् सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को अनेकानेक अवसर देने के बावजदू जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं रहने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा पैतृक आराजी में अपने हक हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् दावा किया है। वादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज हजारी पुत्र गोपाराम जो कि फौत हो चुके हैं तथा इनका फौतदेगी नामातंरण आज दिनांक तक लंबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हजारी के पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्व. हजारी की पत्नी है, तथा वादी को [illegible] है कि प्रतिवादीगण वादी के हक-हिस्से को दरकिनार करते हुए केवल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2020.09.23 11:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्वीकृत करवा सकते है। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का अभी तक नामातंरण नहीं खोला गया है। इस प्रकार प्रकरण फौतदेगी नामातंरण से संबधित है, जिसके लिए वादी को सक्षम स्तर पर पूर्ण विवरण के साथ आवेदन किया जाना था, परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उसके द्वारा इस हेतू कोई पूर्ण सद्भाविक प्रयास करने के बावजूद नामातंरण की कार्यवाही नहीं हो सकी। वादी/प्रार्थी यह साबित करनें में भी पूर्णतया असफल रहा है कि यदि वादग्रस्त आराजी में उसके हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की तो किस प्रकार उसे अपूर्णनीय हानी हो सकेगी। हमारा यह भी विनम्र अभिमत है, कि यदि हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार हजारी के फौतदेगी नामातंरण की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित होगी, साथ ही वादी/प्रार्थी के पास तो नामातंरण प्रक्रिया से अपना पक्ष संबधित सक्षम अधिकारी के सम्मुख रखनें का पूर्ण अवसर एवं विकल्प भी मौजूद है। वादी/प्रार्थी ने यह भी अंकित किया है कि पिता की वादग्रस्त आराजी पर वह कब्जा–काश्त है, परन्तु उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे मौके से बेदखल किए जानें कि प्रबल आशंका किस प्रकार उपस्थित है, तथा कौन बेदखल कर सकते हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मं प्रार्थी प्रथमदृष्ट्या मामला, एवं सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने की दशा में उसे अपूर्णनीय क्षति होनें की प्रबल आशंका को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, लिहाजा हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना विधिसम्मत् एवं उचित और न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई आदेश बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होन से अस्वीकार एवं खारिज किया जाता हैं। प्रार्थी के पक्ष में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.05.2014 को समाप्त किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 07/09/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2020.09.23 11:29:03 IS
Reason: SelfAttested